न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 135/2018

सुशीलकुमार पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टी के तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1.लक्ष्मी पत्नी स्व. बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 11 टी के तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

2.स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
दिनांक 11.06.2018

उपस्थिति—
श्री अमनदीपसिंह अभिभाषक अपीलांट
श्री विरेन्द्र सिहाग अभिभाषक रेस्पो
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 22/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी /अपीलांट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया, जिसके साथ रा.का. अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी लक्ष्मी के पति के नाम चक 11 टी के के प.नं. 198/294 मु.नं. 17 के कि.नं. 11 से 14, 17से 25 की 3.163 है. भूमि खातेदारी थी। प्रार्थी के चाचा व चाची के कोई संतान नही थी। प्रार्थी के चाचा व चाची ने उक्त भूमि प्रार्थी को सुपुर्द कर दी। जिस पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं। अप्रार्थिया लक्ष्मी उक्त भूमि आगे बेचान करना चाहती है, यदि ऐसा करने में वह सफल हो गई तो प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र स्वीकार कर वाद के निर्णय तक विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये जावे।

(A)अप्रार्थी ने जवाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी के पति की मृत्यु होने के पश्चात विरासतन इंतकाल दर्ज हो चुका है। अप्रार्थिया ने उक्त भूमि जरिये बैयनामा विकय कर कब्जा खरीदार को सौंप दिया है।

(B)प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नही बनता है, अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

(C)सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दि. 11.06.18 को प्रा. पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i)विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। खरीदार को कब्जा सौंपा नही गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा. पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

(ii)विद्वान अधिवक्ता रेस्पों ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. विवादित भूमि की अभिलिखित खातेदार है एवं रेस्पों औरतजात है। रेस्पों द्वारा भूमि का बेचान कर कब्जा खरीदार को सौंप दिया है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नही बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) इस मामले में अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि रेस्पों सं. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि रेस्पों सं. 1द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 01.05.18 को मनोहरलाल को विकय कर दी। जिससे अपीलांट ने इंकार नही किया।

(b) अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि विवादित भूमि उसे बनवारीलाल ने सौंप दी थी, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रा. पर नही है।

(c) विवादित भूमि की रेस्पों. अभिलिखित खातेदार होकर औरतजात है। जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर